

24.3.2

वकील का उपनिषद पीएचसीन अधिकारी
अन्य क का. में जाता है। पत्रावली
वांगु 1-4-22 को पेश हो।

01.04.2022::—आज यह पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी
रॉबिन सिंह जरिये अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी
द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया। प्रार्थना-पत्र
शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी
लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वाद
आगे नहीं चलाना चाहते। वादी के अधिवक्ता ने
फर्द अहकाम पर वादी व प्रतिवादी के हस्ताक्षर
करवाये। वादी व प्रतिवादी की पहचान
अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा की गई। वादी
व उसके अधिवक्ता को सुना गया। अतः वादपत्र
वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरबीज
तकमील दाखिल दफतर हो